



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238602
CG-DL-E-05092022-238602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]
No. 63]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

आ.अ. 63(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, त्रिपुरा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 05 सितम्बर, 2022 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा—

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री. सुइथुईफ्रू मोग, टीसीएस, एसएसजी	श्री अब्दुल रहमान, मुख्य प्रलेखन अधिकारी, त्रिपुरा विधान सभा

[फा. सं. 100/रा.स.-त्रिपुरा/02/2022(2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

O.N. 63(E).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Tripura, hereby—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 05th September, 2022:—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Shri Suithuifru Mog, TCS, SSG.	Shri Abdul Rahaman, Chief Documentation Officer, Tripura Legislative Assembly, Agartala

[F.No.- 100/CS-Tripura/02/2022(2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.